



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के भूखण्ड सं०:-4 / 462, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद के क्षेत्रफल 352.50 वर्ग मी० भूमि पर स्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत करते हुए श्री विनीत सूरी पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार सूरी द्वारा "व्यवसायिक" उपयोग हेतु मानचित्र सं०-GDA/BP/26-27 / 0128 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक / आर्किटेक्ट द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड स्वामित्व अभिलेखों के अनुसार भूखण्ड सं०:-4 / 462, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद का भू-उपयोग आवासीय भूखण्ड के अन्तर्गत नियोजित है। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 के अध्याय-15 के प्रस्तर-15.1.3 (i) (iv) व (v) में उल्लेखित है कि महायोजना भू-उपयोग अथवा अनुमोदित ले-आउट में परिभाषित भू-उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जन-सामान्य से आपत्ति / सुझाव प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार आवासीय से व्यवसायिक क्रिया उपयोग किये जाने हेतु अनुमन्य है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति / सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति / सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक / स्वागत कक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। कार्यालय में नियत अवधि (15 दिन) में प्राप्त होने वाले आपत्ति / सुझाव पर विचार किया जायेगा। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

अपर सचिव

ई-मेल : help@negda@gmail.com,  : @ Gda Ghaziabad  : @gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प